

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 142/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

संजय लकड़ा

- विक्रेता

बेन्यामिन होरो

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
21.08.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदिका संजय लकड़ा पिता स्व0 दोरफा लकड़ा ग्राम-रेहरगड़ा, थाना-कर्रा, जिला खूँटी ने बेन्यामिन हारो पिता जयमसीह होरो ग्राम-कोटलो, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="271 840 1380 952"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रेहरगड़ा</td> <td>50</td> <td>29</td> <td>703</td> <td>0.17½</td> </tr> </tbody> </table> <p>अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 888 दिनांक 14.08.19 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पास आवेदित भूमि विक्री के पश्चात् जीवन यापन हेतु प्रयाप्त भूमि नहीं बचने के कारण अंचल अधिकारी, कर्रा द्वारा भूमि विक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, कर्रा के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी। </p> <p style="text-align: center;">  21/08/19 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी। </p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)	रेहरगड़ा	50	29	703	0.17½	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)								
रेहरगड़ा	50	29	703	0.17½								